न्यायालय माननीय अध्यक्ष मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर

सर्किट केम्प भोपाल.

R 298 II 17

प्रकरण क्रमॉक– /2016–17

1– सिद्धू सिंह

2– मनोहर लाल

3– रेवाराम **तीनो पुत्रगण**

लालजीराम सभी नि0– चारबत्ती चौराहा

नजरगंज आष्टा तहसील आष्टा जिला सीहोर............... आवेदकगण

विरूद्ध

1– प्रेमनारायण आ0 लालजीराम

2– भगवती बाई पुत्री लालजीराम

नि0– नगरपालिका परिषद आष्टा

तहसील आष्टा जिला सीहोर .... अनावेदकगण

अभिभावक श्री मनोज गुप्ता

द्वारा आज दिनांक 08/11/16

को पेश।

अधीक्षक

मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा–50 के अन्तर्गत निगरानी.

माननीय महोदय,

अपीलॉर्थीगण की ओर से विद्वान तहसीलदार तहसील आष्टा के द्वारा उनके प्रकरण क्रमॉक– 129/अ–27/2014–15 में पारित आदेश दिनॉक–16–12–2016 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है, कि ग्राम मालीखेडी तहसील आष्टा जिला सीहोर खाता क्रमॉक–157 भूमि सर्वे क्रमॉक– 13/3/2, 231/77/1 230/71, 232/71/3, 43/2 204/2/क, 205, 206/3क 206/1/ग, 206/2, 207/3 रकबा क्रमशः 0.077, 0.101, 1.408, 0.526, 0.356, 0.081 कुल किता 6 कुल रकबा 3.378 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में संयुक्त खाते में दर्ज है अनावेदकगण क्रमॉक–1 द्वारा अधिनस्थ तहसीलदार तहसील आष्टा के समक्ष आवेदन–पत्र धारा–178 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए कब्जे के मान से बटवारा करने हेतु निवेदन किया। विद्वान तहसीलदार महोदय द्वारा आवेदन–पत्र को पंजीबद्ध करते हुए आवेदकगणों को सूचना–पत्र जारी करने के आदेश दिये।

यह कि आवेदकगणों द्वारा अधिनस्थ तहसील न्यायालय के समक्ष उपरोक्त आवेदन–पत्र पर आपत्ति प्रस्तुत की। कि उपरोक्त भूमि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 298–दो/2017 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6 –01–2017	आवेदक अधिवक्ता श्री अनोज गुप्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर किया। 2/ आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार आष्टा के प्रकरण कमांक 129/अ–27/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 16–12–2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 3/ आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि तहसीलदार के समक्ष दोनों पक्षों को सिविलवाद पर सुनने के पश्चात तहसीलदार बटवारा कार्यवाही न रोकने के आदेश दिये हैं। तहसीलदार ने प्रश्नाधीन अंतरिम आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि व्यवहार न्यायालय से स्थगन नहीं होने के कारण बटवारा कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती है। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता प्रकट नहीं होती है। जहां तक स्थगन प्रदान करने का प्रश्न है संहिता की धारा 178 में व्यवहार न्यायालय में वाद दायर करने हेतु ही तीन माह का स्थगन प्रदान किये जाने का प्रावधान है। चूंकि इस प्रकरण में पूर्व से ही व्यवहार न्यायालय में वाद दायर और किसी प्रकार का कोई स्थगन व्यवहार न्यायालय से जारी न होने के कारण आवेदक का आवेदन	

तहसीलदार द्वारा निरस्त कर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये हैं, जो उचित प्रकट होता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य